

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :- महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 11/2022 राजस्व वाद

छगन लाल पुत्र श्री गोकल भील जाति भील आयु वयस्क निवासी- गोरधनपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) ----- वादी

बनाम

1. धनी पुत्री श्री कालू भील जाति भील आयु वयस्क निवासी- सूलिया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. प्यारी पुत्री श्री कालू भील जाति भील आयु वयस्क निवासी- सूलिया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. सोहन पुत्र श्री कालू भील जाति भील आयु वयस्क निवासी- सूलिया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
4. नन्दराम पुत्र श्री हजारी भील जाति भील आयु वयस्क निवासी- सूलिया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
5. प्यारचन्द पुत्र श्री हजारी भील जाति भील आयु वयस्क निवासी- सूलिया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
6. रामेश्वर पुत्र श्री हजारी भील जाति भील आयु वयस्क निवासी- सूलिया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
7. संतोक पुत्री श्री हजारी भील जाति भील आयु वयस्क निवासी- सूलिया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
8. श्रीमती हरजू पत्नी श्री हजारी भील जाति भील आयु वयस्क निवासी- सूलिया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

----- प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा- 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम  
बाबत विभाजन आराजियात

उपस्थित :-

1. श्री मुकेश कुमार जैन,
2. एकपक्षीय-
- पेरोकार सरकार

-अधिवक्ता वादी

-प्रतिवादीगण

-अधिवक्ता-प्रतिवादी

:: निर्णय ::

दिनांक-10.01.2023

वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध एक आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 53 राज0 टिनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत कर सरहद सूलिया पटवार हल्का गोरधनपुरा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चिताम्बा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 08 के नाम शामलाती खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। शामलाती होने से मौके पर सदैव मेड पाली की घास काटने तथा खेत की हंकाई, चराई आदि में विवाद रहने से कब्जे अनुसार विभाजन करने हेतु वादपत्र प्रस्तुत कर विधिवत विभाजन की इस्तदुआ की।

वादी का वादपत्र प्रस्तुत होने पर पंजीबद्ध कर प्रतिवादीगण को सम्मन नोटिस हेतु जरिये रजिस्टर्ड एडी जारी किए गए। रजिस्टर्ड एडी प्रेषित दिनांक से विहित समयावधि के माह व्यतीत होने पर भी प्रतिवादी संख्या 01 से 08 उपस्थित नहीं होने से एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए। वादी अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गई। प्रकरण में उपलब्ध वस्तावेजातात का

उपखंड अधिकारी पदेन  
सहायक कलक्टर करेड़ा

अवलोकन किया गया व अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वादपत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तहसीलदार करेड़ा की मौका रिपोर्ट अनुसार वादपत्र को डिक्री करने का निवेदन किया गया।

मैने वादीया के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया, तहसीलदार करेड़ा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादीया का वादपत्र स्वीकार किया जाता है। अतएव:

### आदेश

सरहद सूलिया पटवार हल्का गोरधनपुरा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चिताम्बा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा के खाता संख्या 97 मे आराजी नम्बर 523 रकबा 0.2529 हैक्टयर, आराजी नम्बर 524 रकबा 0.0632 हैक्टयर, आराजी नम्बर 525 रकबा 1.0749 हैक्टयर, आराजी नम्बर 549 रकबा 0.1138 हैक्टयर, आराजी नम्बर 550 रकबा 0.0885 हैक्टयर, आराजी नम्बर 551 रकबा 0.2782 हैक्टयर, आराजी नम्बर 729 रकबा 0.0379 हैक्टयर, आराजी नम्बर 730 रकबा 0.0885 हैक्टयर, आराजी नम्बर 731 रकबा 0.0506 हैक्टयर, आराजी नम्बर 732 रकबा 0.0506 हैक्टयर, आराजी नम्बर 734 रकबा 0.0759 हैक्टयर, आराजी नम्बर 735 रकबा 0.0506 हैक्टयर, आराजी नम्बर 736 रकबा 0.0506 हैक्टयर, आराजी नम्बर 737 रकबा 0.0506 हैक्टयर, आराजी नम्बर 738 रकबा 0.2529 हैक्टयर, आराजी नम्बर 739 रकबा 0.1897 हैक्टयर, आराजी नम्बर 740 रकबा 0.1518 हैक्टयर, आराजी नम्बर 741 रकबा 0.0885 हैक्टयर, आराजी नम्बर 742 रकबा 0.0253 हैक्टयर, आराजी नम्बर 743 रकबा 0.4300 हैक्टयर, आराजी नम्बर 744 रकबा 0.2782 हैक्टयर, आराजी नम्बर 781 रकबा 0.2023 हैक्टयर, आराजी नम्बर 782 रकबा 0.1012 हैक्टयर, आराजी नम्बर 783 रकबा 0.0379 हैक्टयर, आराजी नम्बर 786 रकबा 0.0379 हैक्टयर, आराजी नम्बर 787 रकबा 0.3415 हैक्टयर, आराजी नम्बर 788 रकबा 0.0379 हैक्टयर, आराजी नम्बर 789 रकबा 0.1138 हैक्टयर, आराजी नम्बर 809 रकबा 0.2023 हैक्टयर, आराजी नम्बर 810 रकबा 0.0632 हैक्टयर कुल किता 30 रकबा 4.8812 हैक्टयर भूमि मे वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्नानुसार विभाजन प्रस्ताव अनुसार निम्नानुसार पक्षकारो के मध्य रिकॉर्ड मे अमल दरामद व नक्शे मे तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है :-

(1) खातेदार का नाम- वादी- छगन लाल पुत्र श्री गोकल भील जाति भील आयु वयस्क निवासी- गोरधनपुरा के नाम पर -।

क्र.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टयर मे)
1	788	0.0379
2.	787	0.3415
3.	523	0.2400
4.	524	0.0500
5.	525	0.3338
6.	781	0.2023
7.	782	0.1012
8	783	0.0379
9.	786	0.0379
10.	789	0.1138

उपखंड अधिकारी पदेन  
सहायक कलक्टर करेड़ा

11.	743	0.1054
12	742	0.0253
योग	कुल किता 12	1.6270 हैक्टयर

(2) खातेदारान- प्रतिवादीगण- धन्नी , सोहन, प्यारी पिता कालू 3/4, नन्दराम , प्यारचन्द, रामेश्वर, संतोक पिता हजारी , हरजू पत्नी हजारी भील 1/4 सा. देह के नाम पर

क.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टयर मे)
1	729	0.0379
2.	730	0.0885
3.	731	0.0506
4.	732	0.0506
5.	734	0.0759
6.	735	0.0506
7.	736	0.0506
8.	737	0.0506
9.	738	0.2529
10.	739	0.1897
11.	740	0.1518
12.	741	0.0885
13	743	0.3246
14.	744	0.2782
15.	809	0.2023
16.	810	0.0632
कुल	योग-16	2.0065

(3) खातेदारान- प्रतिवादीगण- धन्नी , सोहन, प्यारी पिता कालू 3/4, नन्दराम , प्यारचन्द, रामेश्वर, संतोक पिता हजारी , हरजू पत्नी हजारी भील 1/4 सा. देह के बजाय विक्रय से अजय कुमार पुत्र रूप सिंह मीणा सा. बुचा हेरा रूरल कोटपुतली, जयपुर के नाम पर


क.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टयर मे)
1.	523	0.0129
2.	524	0.0132

उपखंड अधिकारी पदेन  
सहायक कलक्टर करेडा

3.	525	0.7411
4.	549	0.1138
5.	550	0.0885
6.	551	0.2782
कुल	योग- 06	1.2477

विभाजन प्रस्ताव अनुसार डिकी जारी हो, उक्तानुसार डिकी जारी करे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे। पत्रावली फैशल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

यह निर्णय आज दिनांक 10.01.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी पदेन  
सहायक कलेक्टर करेड़ा

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर,  
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)